रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224575
CG-DL-E-20012021-224575

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2021/पौष 30, 1942
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2021/PAUSHA 30, 1942

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 35(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस अभिमत के साथ कि जहां तक ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समयोचित है, ओमान में यात्रा दस्तावेज न रखने वाले भारतीयों के लिए भारत की एक बारगी यात्रा के लिए पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों जिनका संबंध आपातकालीन प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क के भुगतान से है, को लागू करने से निम्नलिखित के अध्यधीन छूट देती है:

(i) आपातकालीन प्रमाणपत्र शुल्क से छूट ओमान सरकार द्वारा घोषित सर्वक्षमा अवधि के दौरान किए गए आपातकालीन प्रमाणपत्र आवेदनों के लिए ही लागू होगी;

(ii) इस आपातकालीन प्रमाणपत्र शुल्क से छूट का लाभ चाहने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को एक अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह सुविधा लेने की इच्छा परिलक्षित होती हो;

(iii) इस अधिसूचना में अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर उपर्युक्त निर्दिष्ट सुविधा अवधि के दौरान आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी करते समय, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट नियम और पासपोर्ट नियमावली के सभी प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

[फा. सं. VI/401/22/2002]

जयंत एन. खोबरागड़े, संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2021

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts Indians living in Oman having no travel documents, from the operation of the provisions of section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passport Rules, 1980, in so far as such provisions relate to the payment of fees for issue of Emergency Certificate for one time travel to India subject to the following conditions, namely :

(i) waiver of Emergency Certificate fees shall be applicable only for those Emergency Certificate applications made during the period of Amnesty scheme announced by the Government of Oman;

(ii) all applicants desirous to avail this waiver of Emergency Certificate fee shall have to submit an additional application indicating their wish to avail the facility;

(iii) save as otherwise provided in this notification, while issuing Emergency Certificate during the operation of the aforesaid facility, all the relevant provisions of the Passports Act, Passport Rules and Passport Manual shall apply.

[F. No. VI/401/22/2002]

JAYANT N. KHOBRAGADE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.20 19:07:46 +05'30'